संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0
पर्यावास भवन, पंचम तल खण्ड–क भोपाल

क्रमांक / डीटीए / वे.नि. / मा.द. / 2017 / 174 भोपाल,दिनांक 24-6-2017
प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः–संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पूर्व विभागाध्यक्ष कार्यालयों / जिला कार्यालयों में पदस्थ वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त सेवा अधिकारियों से विषय प्रकरणों में परीक्षण कराये जाने विषयक।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय में प्रायः शासन के विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों से वेतन निर्धारण, अवकाश प्रकरणों,सेवा शर्तों नियमों का स्पष्टीकरण, क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान, वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के संबंध में वांछानुसार स्पष्टीकरण, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य प्रशासकीय विभागों के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण,नियमों के अनुरूप आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए मार्गदर्शन हेतु संचालनालय को निरंतर पत्र प्राप्त हो रहे है।

इस संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर संचालनालय का अभिमत / मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ वित्तीय सलाहकार एवं वित्त सेवा अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये तथा परीक्षण के पश्चात् यदि संचालनालय स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो ही उन प्रकरणों को संचालनालय कोष एवं लेखा में वित्तीय सलाहकार / वित्त सेवा अधिकारी के अभिमत सहित भेजा जाये, ताकि वस्तुस्थिति का पूर्ण परीक्षण कर संचालनालय स्तर से प्रकरणों में अभिमत / मार्गदर्शन दिया जा सके ।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा
भोपाल,दिनांक 24-6-2017

पृ0क्रमांक / डीटीए / वे.नि. / मा.द. / 2017 / 175
प्रतिलिपिः–

1– सचिव,म.प्र. शासन,वित्त विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2– समस्त वित्तीय सलाहकार / वित्त सेवा अधिकारी की ओर पालनार्थ ।
3– वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0
पर्यावास भवन, पंचम तल खण्ड–क भोपाल

क्रमांक/डीटीए/वे.नि./मा.द./2017/176 भोपाल,दिनांक 24-6-2017

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश।

विषयः–संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पूर्व कार्यालय में गठित सेल से परीक्षण कराये जाने विषयक।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रायः यह देखने में आ रहा है कि संचालनालय से वेतन निर्धारण, अवकाश प्रकरणों,सेवा शर्तों नियमों का स्पष्टीकरण, क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान, वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के संबंध में वांछानुसार स्पष्टीकरण, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य प्रशासकीय विभागों के द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण,नियमों के अनुरूप आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए मार्गदर्शन हेतु आपके कार्यालय से संचालनालय को निरंतर पत्र प्राप्त हो रहे है।

इस संबंध में लेख है कि आप अपने कार्यालय स्तर पर वित्त एवं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की समिति गठित करे एवं उक्त समिति से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें। यदि किसी प्रकरण में संचालनालय स्तर से मार्गदर्शन लिया जाना आवश्यक हो तो ही उन्ही प्रकरणों को संचालनालय में अभिमत एवं आदेशों/निर्देशो की छायाप्रति सहित भेजा जाये ताकि वस्तुस्थिति का पूर्ण परीक्षण कर संचालनालय स्तर से आवश्यक अभिमत/मार्गदर्शन दिया जा सके ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा
भोपाल,दिनांक 24-6-2017

पृ0क्रमांक/डीटीए/वे.नि./मा.द./2017/177

प्रतिलिपिः–

वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक